



राजस्थान सरकार  
कार्यालय तहसीलदार, सवाईमाधोपुर  
जिला- सवाई माधोपुर



राजस्थान में अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों  
को दिये जाने वाले समुदाय/वर्ग का प्रमाण-पत्र

क्रमांक RJ10/2014/Misc/Digital Minority/1274

दिनांक 30-07-2014

प्रार्थना-पत्र, रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं शपथ-पत्र के अनुसार प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुज जैन पुत्र श्री महेश चन्द जैन निवासी पुराने टी वि क्लिक के सामने बस स्टेण्ड सवाई माधोपुर, जिला/डिवीजन सवाई माधोपुर भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.No. 1/11/93-MC(D) दिनांक 23.10.1993 एवं भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.No. 1-1/2009-NCM दिनांक 27.01.2014 तथा राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प. 19(5) अल्प वक्फ/2014 दिनांक 14.03.2014 द्वारा अधिसूचित राजस्थान राज्य के लिए अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम/ईसाई/सिख/बौद्ध/पारसी/जैन की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से जैन वर्ग/समुदाय के सदस्य है।

आज दिनांक 30-07-2014 को यह प्रमाण-पत्र मेरे डिजिटल हस्ताक्षर से जारी किया गया है।

नोट :-

1. राजस्थान सरकार के अल्पसंख्यक मामलात विभाग की अधिसूचना क्रमांक 10054 दिनांक 23.09.2013 द्वारा समुदाय/वर्ग का प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग की मान्यता प्रदान की गयी है।
2. उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध करिये गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।
3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजात जिले के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
4. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
5. प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन [www.emitra.gov.in](http://www.emitra.gov.in) पर स्थित On-line Verification Section से online सत्यापित किया जा सकता है।

तहसीलदार, सवाईमाधोपुर

*Aug Fair*

Signature valid

Digitally signed by  
Govind Visthar  
Kumhar  
Date: 30.07.2014  
Reason: ACM  
Location: Rajasthan



1410010510203302